न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–98 सन् 2020

राजेश्वर राय व अन्य.....वादीगण

बनाम

भगवान राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 01.11.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 7 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह वाद तकरारी एराजी पर स्थाई इंतनाई के डिक्री वो वादी एवं प्रतिवादी फरीक 2 को दखल कब्जा मं किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने से सर्वदा के लिए रोक देने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी का वर्तमान स्थिति न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर तकरारी भूमि का वर्तमान स्थिति का प्रतिवेदन मांगा लिया जाए।

प्रतिवादी सं0 1, 2 एवं 3 की ओर से दिनांक 03.08.2021 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कहना है कि वादीगण का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि जिस पर आवासीय मकान स्थित है पर दखल कब्जा हासिल है। ऐसा कथन किया है। इसलिए स्थानीय निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। वादीगण ने उपर्युक्त आवेदन साक्ष्य एकत्रित करने हेतु दाखिल किया है। जो विधितः स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी ने आवेदन गलत इरादे से प्रतिवादीगण

को परेशान करने हेतु दाखिल किया है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि उसे खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर वादी एवं प्रतिवादी फरीक 2 के पक्ष में प्रतिवादी फरीक 1 के विरूद्ध स्थाई इंतनाई की डिक्री सिडियुल नं0 1 अर्जीनालिश के विवादित एराजी के निस्वत दाखिल किया है। वादपत्र के वादीगण ने वर्णित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी फरीक 2 के मोरिस गिरधारी राउत थे। खाता सं0 49 खेसरा सं0 812 रकबा 13 कठा 14 धूर में तीसरा हिस्सा हेमंत राय वो सुबा राय वल्दान गिरधारी राउत को बीच में मिला। जो करीब 4 कठा सवा 11 धूर है। जिसपर हेमंत राय वो सुबा राय ताजिंदगी दखल कब्जा रहते आया एवं अब वादीगण एवं प्रतिवादी फरीक 2 काबिज दाखिल हैं। इस जमीन का विवरण अर्जीदावी के सिडियुल नं0 1 में दिया गया है। सिडियुल नं0 1 में सटे पूरब इसी खेसरा में प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का घर है एवं पश्चिम सुदर्शन राय प्रतिवादी सं0 4 का घर है। ऐसी परिस्थिति में विवादित एराजी के संबंध में वर्तमान स्थिति का न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक प्रतीत होता है। वादीगण की ओर से आदेश 39 नियम 1 वो 2 के अंतर्गत दाखिल आवेदन 29.03.2021 में कहा गया है कि प्रतिवादी फरीक 1 तकरारी भूमि का वास्तविक स्वरूप बदलने को तत्पर हैं। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 24.03.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति शुल्क 2500/– रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 29.11.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।